Toppersnotes
Unleash the topper in you

REET

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा

Board of Secondary Education, Rajasthan

Level – 1

भाग – 5

पर्यावरण अध्ययन

SIERRA INNOVATIONS

विषय सूची

पर्यावरण अध्ययन

1. परिवार 1
   - परिचय, प्रकार
   - सामाजिक बुराईयां इत्यादि

2. वस्त्र एवं आवास 7
   - ऋतुएं एवं वस्त्र रख रखाव
   - जन्तु एवं आवास इत्यादि

3. व्यवसाय कृषि एवं स्थल 8
   - राजस्थान के प्रमुख उद्योग, पशुपाल
   - कृषि के प्रकार, फसलें
   - परियोजनाएं, वन्यजीव संरक्षण
   - रोजगार व नीतियाँ इत्यादि

4. राजव्यवस्था 28
   - स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज)
   - विधानसभा, संसद
   - राष्ट्रपति इत्यादि

5. कला एवं संस्कृति 72
   - प्रमुख मेले व त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व
   - वेशभूषा, खानपान, विभिन्न कलाएं
   - पर्यटन स्थल एवं प्रमुख विभूतियाँ

6. परिवहन और संचार 103
   - यातायात नियम, संचार
   - मोटर वाहन अधिनियम, 1988

7. जीव विज्ञान 109
   - परिचय
   - शारीरिक ज्ञान (आन्तरिक एवं बाह्य)
   - सामान्य रोग एवं उनसे बचाव
   - पल्स पोलियो अभियान
   - पादप जगत इत्यादि

8. राजस्थान सम्बंधी महत्वपूर्ण जानकारी 182
- परिचय
- राज्य पुष्प, वृक्ष, पक्षी पशु आदि

9. रसायन विज्ञान 184
- पदार्थ, अवस्था
- धातु, अधातु, यौगिक
- ऊर्जा, ऊष्मा का रूपान्तरण आदि
- मानव जीवन में रसायन

10. पर्यावरण अध्ययन 213
- सामान्य परिचय
- वायुमण्डल, परितंत्र, जल
- प्रदूषण, वन्यजीव अभ्याण / राष्ट्रीय उद्यान
- वन, ग्रीन हाऊस गैस
- पर्यावरण के क्षेत्र, संकल्पना
- पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं, उद्देश्य, उपयोगिता
- पर्यावरण अधिगम इत्यादि

परिवार (family)

परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। जिसमें पति-पत्नी एवं उनके बच्चे तथा बच्चों के बच्चे सम्मिलित होते हैं। इसमें विवाह और दत्तक प्रथा (गोद लेने) द्वारा परिवार की सदस्यता प्राप्त व्यक्ति भी सम्मिलित है। मानव समाज में परिवार एक बुनियादी एवं सार्वभौमिक इकाई है।

अधिकांश पारंपरिक समाजों में परिवार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों एवं संगठनों की इकाई रही है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

ifjHkk"kk,a

GP Murdock – परिवार एक सार्वभौमिक है ।

लूसी मेयर – परिवार एक गृहस्थ समूह है, जिसमें माता पिता एवं संतान साथ-साथ रहते है । इनके मूल में दंपति एवं उनकी संतान रहती है ।

मैकाइवर और पेज – परिवार यौन संबंधो पर आधारित एक छोटा समूह है, जो बच्चो के जन्म एवं लालन-पालन की व्यवस्था करता है ।

कॉम्टे – व्यक्ति नही वरन् परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है ।

ब्रिफॉल्ट – Book → The mother → वैवाहिक संबंध के प्रारंभिक चरण

परिवार के प्रकार –

मार्गन – एक विवाह, परिवार के उद्भव की अंतिम व्यवस्था परिवार पांच प्रकार के होते है ।

1. समरक्त परिवार
2. युग्म परिवार
3. एक विवाही परिवार
4. समूह परिवार
5. पितृ-सतात्मक परिवार

लाएड वार्नर → परिवार दो प्रकार के होते है –

1. जन्म का परिवार
2. जनन का परिवार

संख्या के आधार पर

- संयुक्त परिवार
- नाभकीय परिवार

वश नाम के आधार पर –

- पितृवंशीय
- मातृवंशीय

निवास के आधार पर –

- पितृ स्थानीय
- मातृ स्थानीय
- नव स्थानीय

विवाह के आधार पर

- एक विवाही
- बहु विवाही

अधिकार के आधार पर

- पितृ सतात्मक
- मातृ सतात्मक

संयुक्त परिवार

माता-पिता, संतान, दादा-दादी, पुत्रवधू, चाचा-चाची, ताऊ-ताई
दो-तीन पीढियां साथ में

प्रकार –

- आकार बडा
- सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति मुखिया
- भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार
- सहभोजिता, सहनिवास, सम्पति में सहभागिता ।
- अकर्मण्य व्यक्ति, एकान्त का अभाव, अनियंत्रित प्रजनन व्यक्तिगत विकास में अभाव

एकल परिवार

पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे
संयुक्त परिवार की लघु इकाई

प्रकार –

- आत्मनिर्भर
- बेहतर लालन पोषण
- व्यक्तिगत विकास
- पारिवारिक मतभेद में कमी
- अकेलापन
- परेशानियों से अकेले लडे ।

lkekftd cjkb;k

बाल–श्रम

बाल–श्रम का मतलब यह है कि जिसमे कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संघठनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगीकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों श्रम अधिकार और बच्चों अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमे जनविवाद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम है।

बच्चों के अधिकार

यह अनुचित या शोषित माना जाता है यदि निश्चित उम्र से कम में कोई बच्चा घर के काम या स्कूल के काम को छोडकर कोई अन्य काम करता है। किसी भी नियोक्ता को एक निश्चित आयु से कम के बच्चे को किराए पर रखने की अनुमति नहीं है। न्यूनतम आयु देश पर निर्भर करता किसी प्रतिष्ठान में बिना माता पिता की सहमति के न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है।

औद्योगिक क्रांति में चार साल के कम उम्र के बच्चों को कई बार घातक और खतरनाक काम की स्थितियों के साथ उत्पादन वाले कारखाने में कार्यरत थे। अंग्रेजी श्रमिक वर्ग का बनना , (पेंगुइन,), पीपी. अब अमीर देशों ने मजदूरों के रूप में बच्चों के इस्तेमाल को समझा है और इस आधार पर इसे मानव अधिकार का उल्लंघन माना है और इसे गैरकानूनी घोषित किया है जबकि कुछ गरीब देशों ने इसे बर्दाश्त या अनुमति दी है।

बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों के मजदूरी के सहारे है। कभी कभी ये ही उनके आय के स्रोत है। इस प्रकार का कार्य अक्सर दूर छिप कर होता है क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होतें है। बाल श्रम कृषि निर्वाह और शहरो के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, बच्चों के घरेलू काम में योगदान भी महत्वपूर्ण है। बच्चो को लाभ मुहैया कराने के लिए, बाल श्रम निषेध को दोनों अल्पावधि आय और दीर्घावधि संभावनाओं के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना है। कुछ युवाओं के अधिकार के समूहों यद्यपि, एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चे को काम करने से रोक कर, बच्चों के विकल्प कम करने को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते है। ये महसूस करते है कि ऐसे बच्चे पैसे वालों के इच्छा के अधीन रहते है। बच्चे की सहमति या काम करने के कारण बहुत भिन्न हो सकते है

बाल मजदूरी के कारण

यूनीसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है, क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते है, उनमें आम तौर पर गरीबी पहला है। लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता–पिता (वे अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते है, ताकि परिवार की आय बढ सके) जैसे अन्य कारण भी है। और यदि एक परिवार के भरण–पोषण का एकमात्र आधार ही बाल श्रम हो, तो कोई कर भी क्या सकता है।

यदि हम बाल श्रम को सिर्फ मजदूरी कमाने वाले काम के रूप में परिभाषित करें तो सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 1 करोड 70 लाख है। स्वतंत्र रूप से किये गये अनुमान, जो मोटे तौर पर यही परिभाषा स्वीकार करते है, मानते है कि यह संख्या 4 करोड है। लेकिन यदि स्कूल से बाहर के सभी बच्चों को बाल श्रमिक माना जाये तो यह संख्या करीब 10 करोड होगी।

भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून

भारत का संविधान (26 जनवरी 1950) मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है–

- 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जायेगा (धारा 24)।
- राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें (धारा 39–ई)।
- बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जायेंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जायेगा (धारा 39–एफ)।
- संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे (धारा 45)।

बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती है। दोनों स्तरों पर कई कानून बनाये भी गये है।

- बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986– यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 पेशा और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और

स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशाओं और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है।

- फैक्टरी कानून 1948 – यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढे चार घंटे की कार्यावधि तय की गयी है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बाल मजदूरी रोकने हेतु एम.वी.एफ मॉडल

एम.वी.एफ बुनियादी बातों से शुरू करता है। वह मानता है कि बाल श्रम से निपटने का एक मात्र रास्ता यह है कि पालकों के मन में शिक्षा के जरिये अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की जो इच्छा है उसका उपयोग किया जाये। उसका विश्वास है कि किसी बच्चेबच्ची को काम से हटाने और स्कूल में प्रवेश दिलाने के किसी भी कार्यक्रम का शुरुआती कदम यह होना चाहिये कि समुदाय के भीतर यह भावना भर दी जाये कि किसी भी बच्चे को काम नहीं करना चाहिये। समुदाय से जूझने का मतलब सिर्फ पालकों से निपटना नहीं है बल्कि इसका संबंध सभी प्रकार के लोगों से है, जिनमें नियोक्ता, मत बनाने वाले, स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि, समुदाय के बुजुर्ग, स्थानीय युवा, शिक्षक आदि भी आते हैं। इसमें समुदाय के इन सभी सदस्यों को बाल श्रम के मुद्दे के बारे में संवेदनशील बनाया जाता है और यह बताया जाता है कि वे किस तरह बाल श्रम को बनाये रखने में योगदान देते हैं। इसमें समुदाय को इस बात के प्रति भी संवेदनशील बनाया जाता है कि बाल श्रम खत्म होने से सिर्फ पालकों या खुद बच्चों को ही फायदा नहीं होता बल्कि समुदाय को भी फायदा होता है।

बाल विवाह

बाल विवाह का सम्बन्ध आमतौर पर भारत के कुछ समाजों में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोडा जाता है, जिसमें एक युवा लडकी (आमतौर पर 15 वर्ष से कम आयु की लडकी) का विवाह एक वयस्क पुरुष से किया जाता है। बाल विवाह की दूसरे प्रकार की प्रथा में दो बच्चों (लडका एवं लडकी) के माता–पिता भविष्य में होने वाला विवाह तय करते हैं। इस प्रथा में दोनों व्यक्ति (लडका एवं लडकी) उनकी विवाह योग्य आयु होने तक नहीं मिलते, जबकि उनका विवाह सम्पन्न कराया जाता है। कानून के अनुसार, विवाह योग्य आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।

यदि किसी का कोई भी साथी इससे कम आयु में विवाह करता है, तो वह विवाह को अमान्य निरस्त घोषित करवा सकता/सकती है।

विभिन्न राज्यों में अठारह वर्ष से कम आयु में विवाह

- आन्ध्र प्रदेश – 71 प्रतिशत
- बिहार – 67 प्रतिशत
- मध्य प्रदेश – 73 प्रतिशत
- राजस्थान – 68 प्रतिशत
- उत्तर प्रदेश – 64 प्रतिशत

बाल विवाह के कारण

- गरीबी
- लडकियों की शिक्षा का निचला स्तर
- लडकियों को कम रुतबा दिया जाना एवं उन्हें आर्थिक बोझ समझना
- सामाजिक प्रथाएं एवं परम्पराएं

बालविवाह के दुष्परिणाम

- बालविवाह के केवल दुष्परिणाम ही होते हैं जीनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पता है
- और वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वेहन नहीं कर पाते हैं और इनसे एच.आई.वि. जेसे यौन संक्रमित रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है ।

बाल विवाह: उन्मूलन हेतु सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं की पहल

- बाल विवाह के विरुद्ध कानूनों का निर्माण
- लडकियों की शिक्षा को सुगम बनाना
- हानिकारक सामाजिक नियमों को बदलना
- सामुदायिक कार्यक्रमों को सहायत
- विदेशी सहायता अधिकतम करना

- युवा महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना
- बाल वधुओं की विशेष जरूरतों को पूरा करना
- कार्यक्रमों का आकलन कर देखना कि क्या बात असरदार होगी

सरकार की पहल

- बाल विवाह निरोधक कानून
- बाल विवाह प्रथा रोकने के प्रयास में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों ने कानून पारित किए हैं जो प्रत्येक विवाह को वैध मानने के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक बनाते हैं।
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005ß के अनुसार (भारत के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित) 2010 तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बाल विवाह को रोकने हेतु उपाय

बालविवाह रोकने हेतु कुछ उपाय हो सकते हैं जैसे-

1. समाज में जागरूकता फैलाना
2. मीडिया इसे रोकने में प्रमुख भागीदारी निभा सकती है।
3. शिक्षा का प्रसार
4. गरीबी का उन्मूलन
5. जहाँ मीडिया का प्रसार ना हो सके वह नुक्कड नाटको का आयोजन करना चाहिए।

दहेज प्रथा

भारतीय समाज में अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं । पहले इस प्रथा के प्रचलन में भेंट स्वरूप बेटी को उसके विवाह पर उपहारस्वरूप कुछ दिया जाता था परन्तु आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है । दहेज के अभाव में योग्य कन्याएं अयोग्य वरों को सौंप दी जाती हैं । लोग धन देकर लडकियों को खरीद लेते हैं । ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन सुखद नहीं बन पाता । गरीब परिवार के माता-पिता अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते क्योंकि समाज के दहेज-लोभी व्यक्ति उसी लडकी से विवाह करना पसंद करते हैं जो अधिक दहेज लेकर आती है ।

हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हों या फिर शारीरिक, को बढावा देता है. इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है. अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है. क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान-सम्मान को तो समाप्त करेगा ही साथ ही बेटी को बिना दहेज के विदा किया तो ससुराल में उसका जीना तक दूभर बन जाएगा. संपन्न परिवार बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं. उन्हें लगता है कि बहुमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढाएगा. इसके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल में सम्मान और प्रेम मिलेगा

देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है और वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकडे बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8,233 मामले सामने आए। आंकडों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ रही है।

कानून

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
- दहेज के लिए उत्पीडन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- धारा 406 के अन्तर्गत लडकी के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लडकी के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।
- यदि किसी लडकी की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताडित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लडकी के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

चोरी

चोरी का तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति की सम्पति को उस व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से लेना है । इसे 'Crime Against Property' का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है । जो चोरी करता है, उसे चोर कहा जाता है । चोरी में बैंक डकैती, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे के खाते से बिना अनुमति के धन निकालना, डाटा चोरी आदि सभी शामिल है ।

चोरी के तत्व–

- अनाधिकृत रूप से किसी अन्य की सम्पति ले लेना ।
- इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को अपनी संपति से वंचित करना हो ।
- चोर के मन में सम्पति चुराने की बेईमानी व बदनीयती हो । चोरी का मुख्य कारण गरीबी है । जब व्यक्ति के पास किसी चीज का अभाव हो और वह उसे प्राप्त करने में किसी भी तरह सक्षम न हो सके तो वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चोरी करने को प्रेरित होता है, लेकिन कई बार धीरे–धीरे यह घटना उस व्यक्ति की आदत बन जाती है । त बवह आदतन चोरी करने का अपराध करने लगता है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वह गरीब हो तथा उसे वस्तु की सख्त आवश्यकता हो । वह महज आनन्द के लिए अथवा अधिकाधिक सम्पदा प्राप्त करने के लिए चोरी करने लगता है । चोरी को रोकने हेतु भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रावधान बनाए गए है ।

  चोरी भारतीय दण्ड संहिता के तहत एक दण्डनीय अपराध है । चोरी के कारण पीडित व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक पीडा भी होती है । इसके कारण उसकी कडी मेहनत से जुटाई गई सम्पतियां चली जाती है । कई बार धन सम्पति चोरी चले जाने के कारण आवश्यक कार्य जैसे विवाह आदि में भी अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है ।

वस्त्र व आवास–

विभिन्न वस्तुओं में पहने जाने वाले वस्त्रः– हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है । अपने शरीर की सुरक्षा एवं व्यक्ति को आकर्षक बनाने के लिए हम वस्त्र धारण करते है ।

1. गर्मी ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्रः– गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। इस ऋतु में शरीर से पसीना अधिक निकलता है । सूती वस्त्र पसीने को सोख लेते है व शरीर को ठण्डक प्रदान करते है । अतः गर्मी में सूती वस्त्र पहनना अधिक सुखकर लगता है, इसलिए गर्मियों मे हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते है ।
2. सर्दी ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्रः– सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते है– स्वेटर, शॉल, टोपी आदि ।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहने जाने वाले वस्त्रः–

1. जम्मू कश्मीर–

(1) बुर्गा– मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र
(2) फिरन– पुरूष एवं महिलाओं द्वारा ढीला–ढाला चोंगे की तरह पहना जाने वाला वस्त्र
(3) तरंगा– कश्मीरी महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र
(4) कसावा– फिरन के साथ पहनी जाने वाली लाल रंग की टोपी ।
(5) पठानी सूट– पुरूषों के द्वारा पहने जाने वाले सूट जो विशेषकर श्रीनगर में पहना जाता है ।
(6) गोंचा– लद्दाखी पुरूषों द्वारा गले में पहने लाने वाला भेड की खाल से बना ऊनी वस्त्र ।

2. हिमाचल प्रदेश

(1) राहिठे– हिमालय प्रदेश में महिलाओं के द्वारा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र ।
(2) रिगोया– पुरूषों के द्वारा पहना जाने वाला लंबा ऊनी कोट ।
(3) होज्रुक– महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की कमीज
(4) सुथान– पुरूषों द्वारा पहने जाने वाला ऊनी या सूती पायजामा
(5) पट्टू लिंगचय– विभिन्न प्रकार के शॉल
(6) लिंगडिमा, थानो– विभिन्न प्रकार की टोपियाँ
(7) तेपांग– पुरूषों द्वारा पहनी जाने वाली किन्नौरी टोपी ।

3. पंजाब के वस्त्र

(1) फुलकारी– पंजाब में प्रचलित एक प्रकार का शॉल ।
(2) शरारा/लाँचा– पंजाब में महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र ।
(3) टम्बा/तहमत– धोती का पंजाबी रूप, जो पुरूष पहनते है ।

4. गुजरात के वस्त्रः–

(1) आभास– गुजरात में प्रचलित गुजरात कच्छ क्षेत्र का पारम्परिक वस्त्र ।
(2) चोरनोल, केडिया, अंगरखु केटो, कफानी या फरहन– पुरूषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र ।
(3) चालियों, पोलखु, आभा या काजरी– महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र ।

वस्त्रों की धुलाई – ड्राईक्लीन
चाय का धब्बा– नींबू या गिलसरीन
नीली स्याही– नमक और नींबू का रस

आवास

जीव जन्तुओं के आवास –

- बिल – सांप, चूहा, खरगोश, चीटी
- घोंसला
- गुफा/माद
- पेड की शाखाएं
- घर
- छत्ता
- जल
- बाडा/छप्पर
- अस्तबल
- दडवा

मनुष्यों के आवास

- जातियों के आधार पर आवास
- आवासों की स्वच्छता

आवास निर्माण सामग्री

0;olk;

उद्योग

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ राज्य रहा है । इस पिछडेपन का प्रमुख कारण प्राकृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण उत्तरदायी रहे हे । आजादी के बाद औद्योगिक विकास का एक नई दिशा दी गई । जिसके अपेक्षित परिणाम दृष्टिगोचर होते है । राज्य में औद्योगिक पिछडेपन के निम्न कारण है ।

1. प्रतिकूल धरातलीय स्वरूप
2. पानी की कमी
3. उर्जा के साधनों की कमी
4. औद्योगिक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता
5. तकनीकि ज्ञान की कमी
6. सीमित पूंजी निवेश
7. विरासत में मिला औद्योगिक पिछडापन
8. प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी
9. सीमित बाजार एवं ढांचागत सुविधाओं की कमी
10. कच्चे माल की कमी
11. परिवहन साधनों की कमी
12. राजनीतिक हस्तक्षेप

राजस्थान के प्रमुख उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग –

राज्य मे प्रथम सूती कपडा मील 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित हुई थी । इसके पश्चात 1906 और 1955 में यहां दो और मील स्थापित हुई ।

1938 में भीलवाडा, 1942 में पाली, 1946 में गंगानगर सूती वस्त्र की मीलें स्थापित हुई ।

भीलवाडा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है । 2009 में केन्द्र सरकार ने इसे वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा दिया । राजस्थान में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के निम्न कारखाने है ।

एडवर्ड मिल्स – ब्यावर
कृष्णा मिल्स – ब्यावर
महालक्ष्मी मिल्स – ब्यावर
आदित्य मिल्स – किशनगढ
महाराजा श्री उम्मेद मिल्स – पाली
मेवाड टैक्सटाइल्स – भीलवाडा
राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स – गुलाबपुरा
सॉउर्न ग्रुप – भीलवाडा
भीलवाडा सूटिंग-शर्टिंग – भीलवडा
राजस्थान टैक्सटाइल्स – भवनी मण्डी
रिलाइन्स कोमेटैक्स – उदयपुर
विजयनगर कॉटन मिल्स – विजयनगर
जे.सी.टी. – श्री गंगानगर
उदयपुर कॉटन मिल्स – उदयपुर
जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स – जयपुर
राजस्थान को-ऑपरेटिव मिल्स – गुलाबपुरा
श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज – कोटा

ऊन उद्योग

राजस्थान सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है । जो सम्पूर्ण देश का 40 प्रतिशत है । राज्य में ऊन उद्योग निम्न है ।

1. स्टेट वूल मिल्स – बीकानेर
2. जोधपुर ऊन फैक्ट्री
3. विदेशी आयात-निर्यात संस्था कोटा
4. वर्स्टेड स्पिनिंग मील चुरू
5. वर्स्टेड स्पिनिंग मील लाडनूं

चीनी उद्योग

यह सूती वस्त्र उद्योग के बाद राज्य का दूसरा बडा कृषि आधारित उद्योग है ।

राज्य में प्रथम चीनी मील 1932 में भोपाल सागर चित्तौड में स्थापित की गई ।

1937 में दूसरी चीनी मील दी गंगानगर शुगर मील गंगानगर में स्थापित की गई । इसके साथ चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया । यह अपनी तरह का दक्षिण एशिया में पहला प्लांट था । 1956 में इसे राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया । वर्तमान में यहां शराब डिस्टलरी बनाने का कारखाना भी है ।

राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र में चीनी मील केसोराय पाटन बूंदी (1965) में स्थापित की गई । दूसरी 1976 में उदयपुर में स्थापित की गई । जिसे उदयपुर शुगर मील के नाम से जाना जाता है ।

सीमेंट उद्योग

राज्य में सीमेंट उद्योग उन्नत अवस्था में है । इसके विकास की असीम संभावना भी है । क्योंकि राज्य में कच्चे माल चूने पत्थर की प्रचुर उपलब्धता है । वर्तमान में राज्य भारत का दूसरा प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है ।

राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी (बूंदी) में स्थापित किया गया ।

राजस्थान के सीमेंट के बडे कारखाने निम्नलिखित है –

क्र.सं.	सीमेंट इकाई	स्थान/जिला
1.	ए.सी.सी.लिमिटेड	लाखेरी (बूंदी)
2.	चित्तौडगढ सीमेंट वर्क्स	चित्तौडगढ
3.	अम्बूजा सीमेंट	खरियावास (पाली)

4.	डी.के. सीमेंट एवं वंडर सीमेंट	निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)
5.	मंगलम सीमेंट	मोडक (कोटा)
6.	डी.के. लक्ष्मी सीमेंट	सिरोही
7.	श्री सीमेंट	ब्यावर (अजमेर)
8.	श्री राम सीमेंट	कोटा
9.	बिडला व्हाइट सीमेंट	गोटन
10.	हिन्दुस्तान सीमेंट	उदयपुर
11.	राज श्री सीमेंट	खारिया, मीठापुर (नागौर)
12.	इण्डिया सीमेंट लि.	नौखिया (बांसवाडा)
13.	अल्ट्राटेक सीमेंट	सवा. शम्भूपुरा रोड (चित्तौडगढ)
14.	बिडला कार्पोरेशन	चचेरिया (चित्तौडगढ)
15.	बिनानी सीमेंट	सिरोही (सीकर)

डी.के. सीमेंड निम्बाहेडा सर्वाधिक क्षमता वाला कारखाना है जबकि श्री राम सीमेंट कोटा न्यूनतम क्षमता वाला कारखाना है ।

<u>तांबा उद्योग</u>

राजस्थान में तांबा उद्योग भारत सरकार के उपक्रम हिंदूस्तान कॉपर लिमिटेड के हाथों में है । जिसकी स्थापना 1967 में खेतडी झुंझुनू में की गई । इसके अन्तर्गत तीन परियोजनाएं कार्यरत है ।

1. खेतडी कॉपर काम्पलेक्स, खेतडी (झुंझुनू)
2. दरीबा ताम्र परियोजना अलवर
3. चांदमारी ताम्र परियोजना (झुंझुनू)

खेतडी कॉपर काम्पलेक्स देश की सबसे बडी ताम्र खनन शोधन ईकाई है ।

<u>जस्ता उद्योग</u>

राजस्थान में जस्ता उद्योग अति प्राचीन है । यहां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ता खनन करता है । यह उदयपुर के पास देबारी में 10 जनवरी 1996 में स्थापित किया गया था ।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक परियोजना रामपुरा आगुचा (भीलवाडा) में स्थापित किया गया है ।

जस्ता प्रद्रावन कारखाने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने चंदेरिया (चित्तौडगढ) में तथा देबारी में स्थापित किये गये है ।

<u>इंजनियरिंग उद्योग</u>

राज्य में विभिन्न प्रकार के इंजनियरिंग उद्योग है । वर्तमान लगभग 51 बडे एवं मध्यम श्रेणी के इंजनियरिंग उद्योग है ।

कुछ महत्वपूर्ण इंजिनियरिंग उद्योग निम्न है ।

1. हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर – भारत सरकार का उपक्रम, 1967 में स्थापित । एच.एम.टी. घडियों का उत्पादन करता है ।
2. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कोटा – भारत सरकार का उपक्रम, 1964 में स्थापित । भारी मशनरी का निर्माता ।
3. जयपु मेटल्स, जयपुर (बिजली के मीटर)
4. कैप्सटन मीटर कम्पनी, जयपुर और पाली (पानी के मीटर)
5. मान इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन, जयपुर (लोहे के टावर, खिडकियाँ आदि)
6. सिमको-बिडला फैक्ट्री, भरतपुर (रेल के डिब्बे एवं मशीनें)
7. नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी जयपुर में विभिन्न प्रकार के बाल – बियरिंग बनाने वाली और अपने प्रकार की देश में सबसे प्रमुख कम्पनी है ।
8. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन, जयपुर टेलीविजन
9. अवन्ती स्कूटर्स, अलवर
10. लेलैण्ड ट्रक कारखाना, अलवर
11. राजस्थान टेलीविजन इण्डस्ट्रीज, भिवाडी
12. वैगन फैक्ट्री, कोटा
13. लोको एण्ड कैरिज वर्कशॉप, अजमेर

<u>रसायन एवं उर्वरक उद्योग –</u>

राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना डिंडवाना में की गई । इसके अंतर्गत तीन इकाईयां कार्यरत है ।

1. सोडियम सल्फेट वर्क्स – 1964 में स्थापित किया गया । यहां सोडियम सल्फेट बनाया जाता है ।
2. सोडियम सल्फेट संयंत्र – शुद्ध नमक बनाया जाता है ।
3. सोडियम सल्फाईट फैक्ट्री – सोडियम सल्फाईट बनाया जाता है । रासायनिक क्रिया से ।

सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट अलवर में है ।

रासायनिक उर्वरक को हेतु कोटा में श्री राम फर्टीलाइजर उद्योग स्थापित किया गया है । दूसरा उद्योग गढेपान (कोटा) में चम्बल फर्टीलाइजर के नाम से स्थापित किया गया है ।

देबारी जिंक स्मेल्टर से भी रासायनिक उर्वरक का उत्पादन किया जाता है ।

<u>नामक उद्योग</u>

राजस्थान गुजरात व तमिलनाडु के बाद भारत में नमक उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है । 1960 में सांभर में सांभर साल्टस लिमिटेड की स्थापना की गई । राजस्थान में नमक आधारित निम्न राज्य के उपक्रम कार्यरत है ।

1. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (1964 में स्थापित)
2. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (1966 में स्थापित)
3. राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, डीडवाना (1960 में स्थापित)
4. राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, पंचपद्रा (1960 में स्थापित)

<u>कांच उद्योग</u>

राजस्थान में सिलिका सैण्ड जयपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर में उत्तम श्रेणी का उपलब्ध है । राजस्थान में कांच बनाने के दो कारखाने है ।

1. धौलपुर ग्लास वर्क्स – निजी क्षेत्र का
2. दी हाई टेक्निकल प्रीसीजन ग्लास वर्क्स – गंगानगर शुगर मिल के अंतर्गत ।

<u>पर्यटन उद्योग</u>

राजस्थान में 2019 में कुल 5.22 करोड देशी और 16.60 करोड विदेशी पर्यटक आए राजस्थान पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक केन्द्र है । भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है ।

राज्य में 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई । 1978 में राजस्थान पर्यटक विकास निगम (RTDC) की स्थापना की गई ।

राज्य के पर्यटन में एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ उस समय हुआ जब राज्य के 6 किलों को वर्ड हैरिटेज सूची में शामिल किया गया । जो निम्न है –

1. चित्तौडगढ
2. रणथम्भौर
3. आमेर
4. जैसलमेर
5. कुम्भलगढ
6. गागरौन

जयपुर शहर के परकोटे को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है ।

राज्य में पर्यटन विकास हेतु कई परिपथ का निर्माण किया गया है । जो निम्न है –

1. जयपुर परिपथ – जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, रणथम्भौर, अजमेर ।
2. मरू परिपथ – जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाडमेर, नागौर ।
3. अलवर परिपथ – अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर ।
4. हाडौती परिपथ – कोटा, बूंदी, झालावाड, बारां
5. मेवाड परिपथ – उदयपुर, चित्तौडगढ, रणकपुर, नाथद्वार, कुम्भलगढ ।
6. शेखावटी परिपथ – सीकर, झुंझुनू, चुरू
7. माउण्ट आबू परिपथ – पाली, सिरोही, माउण्ट आबू, जालौर ।

<u>औद्योगिक पार्क</u>

1. एग्रोफूड पार्क – रिको द्वारा विकसित, अलवर, कोटा, श्रीगंगानगर और गोरानाडा (जोधपुर)
2. स्टोन पार्क – बिशनोदा ग्राम – धौलपुर
3. जापानी उद्यमी पार्क – जापानी संस्था जेट्रो के सहयोग नीमराना एवं घीलोट अलवर में विकसित
4. सूचना प्रौद्योगिकी पार्क – सीतापुरा जयपुर (इसे बायोटेक्नोलोजी पार्क भी कहते है)
5. टेक्सटाइल पार्क – सीलोरा किशनगढ (अजमेर में स्थापित है)
6. होजरी पार्क – चौपकी (भिवाडी अलवर)

राज्य में औद्योगिक विकास हेतु एक उद्योग निदेशालय एवं जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे है ।

राज्य में उद्योगों को वितीय संसाधन जुटाने हेतु विभिन्न प्रकार के संगठन कार्यरत है ।

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO)
2. राजस्थान वित्त निगम (RFC)
3. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO)
4. राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (RKVIB)
5. राज्य कृषि उद्योग निगम एवं राजस्थान हथकर्घा विकास निगम

<u>औद्योगिक नीति –</u>

राजस्थान में अभी तक 6 औद्योगिक नीतियां जारी की जा चुकी है । जो निम्न है ।

1. प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 – भैरू सिंह शेखावत के काल में ।
2. दूसरी औद्योगिक नीति अप्रैल 1991 में लागू – भैरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में ।
3. तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994 में लागू – भैरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में ।
4. चौथी औद्योगिक नीति 4 जून 1998 में लागू – भैरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में ।
5. पांचती औद्योगिक नीति जून 2010 में लागू – अशोक गहलोत के कार्यकाल में ।
6. छठी औद्योगिक नीति 8 अगस्त 2015 में लागू – वसुन्धरा राजे के कार्यकाल में ।

राजस्थान में पशुधन

पशु या पशुओं का समूह जिसे कृषि कार्यो, देशे, श्रम, खाद्य, उत्पाद तथा अन्य कार्यो के लिए पालतू बनाया जाता है, उन्हे पशु-धन कहते है ।

राजस्थान में पशुगणना का कार्य राजस्वमण्डल अजमेर द्वारा किया जाता है

- पशुगणना प्रति 5 वर्ष में आयोजित होती है।
- प्रथम पशुगणना-1919-1920 में आयोजित की गई
- नवीनतम 20वी पशुगणना-2019 में आयोजित की गई।
- नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु सम्पदा- 5.68 लाख वर्ष 2020
- नवीनतम पशु गणना के अनुसार पशुः-

सर्वाधिक	सबसे कम
1.बाडमेर	1. धौलपुर
2. जोधपुर	2. कोटा

- 20वी पशु गणना में पशु सम्पदा में कमी-1.66%
- 20वी पशु गणना में राजस्थान में पशु सम्पदा देश की कुल पशु सम्पदा का-10.60%
- 20वी पशुसम्पदा के अनुसार राजस्थान में पाये जाने वाले सर्वाधिक पशुः-

○ प्रथम बकरी - 37.53%
○ द्वितीय गाय - 23.08%
○ तृतीय भैंसें - 22.48%
○ चतुर्थ भेड - 17.73%

- 20वी पशुगणना के अनुसार राजस्थान के पशुधनत्व-

सर्वाधिक	सबसे कम
1. दौसा-	1. जैसलमेर-
2. राजसमंद-	2. बीकानेर-
3.डूंगरपुर-	3. चूरू-
4.बांसवाडा-	4. बारां-

- 20वी पशुगणना में सर्वाधिक बढोतरी वाले पशुः-
(संख्या के आधार पर)
1. भैंस 5.5 प्रतिशत
2. गाय 4.4 प्रतिशत
3 बकरी
4. सुअर

20वी पशुगणना में सर्वाधिक कमी वाले पशुः-

(संख्या के आधार पर) (प्रतिशत के आधार पर)

1. भेड	1. गधा - 71 प्रतिशत कमी
2. ऊंट	2. ऊँट - 65 प्रतिशत कमी
3. गधा	3. भेड- 13 प्रतिशत कमी
4. घोडा	4. घोडा- 11 प्रतिशत कमी

नवीनतम पशुगणना के अनुसार वे पशु जो देश में सर्वाधिक राजस्थान में है-
1. ऊँट
2. गधा
3. बकरी

- देश में राजस्थान का:-
बकरा मांस उत्पादन में राज. - प्रथम स्थान
ऊन उत्पादन में - प्रथम स्थान
पशुसम्पदा में - द्वितीय(Ist U.P.)
दुग्ध उत्पादन में - द्वितीय-12.73%(Ist U.P.)

राजस्थान में गोवंश की देशी व विदेशी नस्ले पायी जाती है ।
1. गौवंश - सर्वाधिक -उदयपुर, चित्तौडगढ

गौवंशी की नस्ल	क्षेत्र	विशेष
1. राठी	बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर	सर्वाधिक दूध देने के कारण राजस्थान की कामधेनू
2. थारपारकर	जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर	मूल स्थान-सिंध प्रांत(पाकिस्तान) की नस्ल
3. गीर	अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ	मूलतः गुजरात की नस्ल
4. नागौरी	अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ	नागौरी बेल दौडन में, भारवहन तथा कृषि

5. कांकरेज	बाड़मेर, जालौर	मूलतः गुजरात की नस्ल
6. मेवातीब	अलवर, भरतपुर	बोझा ढोने हेतु
7. हरियाणवी	सीकर, झुंझुनूं	मूलतः हरियाणा की नस्ल
8. मालवी	दक्षिणी पूर्वी राजस्थान	मूलतः मध्यप्रदेश का मालवा क्षेत्र
9. साँचौरी	जालौर, सिरोही	

विदेशी नस्ले

1. रेडडेनः- मूल स्थान-डेनमार्क
- राज्य में बिखरी हुई पायी जाती है ।
- दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ।

2. हॉलिस्टिनः- मूल स्थान हॉलैण्ड अमेरिका
- राज्य के मध्य एवं पूर्वी भाग में पायी जाती है ।
- सर्वाधिक दूध देती है ।

3. जर्सीः- उत्पति-अमेरिका
- मध्य एवं पूर्वी राजस्थान में पायी जाती है ।
- कम आयु में ही दूध देना प्रारम्भ कर देती है ।

निष्कर्षत गायों की राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है । यही कारण है कि वर्ष 2014 में राजस्थान सरकार ने गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए गो-पालन विभाग स्थापित कर दिया है।

राजस्थान में प्रमुख द्विप्रयोजनीय गोवंशः-
- गिर
- कांकरेज
- हरियाणवी

राजस्थान में दूध देने वाली गाय की प्रमुख फसलेंः- राजस्थान में मुख्यतः भारवाहक नस्ले पायी जाती है किन्तु फिर भी कुछ देशी व विदेशी गोवंश की नस्ले दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैः-

डैरी- राठी(सर्वाधिक दूध), साँचौरी, थारपारकर, हरियाणवी, गिर, कांकरेज
इनके अलावा हॉलिस्टिन, रेडडेन, जर्सी गायें भी दुग्ध-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ।

2. राजस्थान में भेड़ो की प्रमुख नस्ले निम्नांकित पायी जाती हैः-

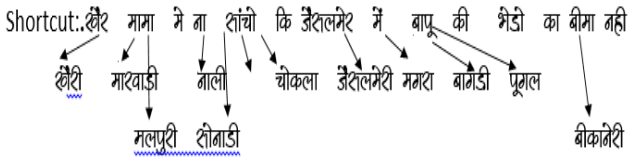

1. मारवाड़ीः- जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही में पायी जाती है ।
2. मालपुरीः- यह टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अजमेर में पायी जाती है ।
3. सोनाडीः- यह दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा में पायी जाती है ।
4. नालीः- यह श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर व सीकर में पायी जाती है ।
5. चोकलाः- यह सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर आदि जिला में पायी जाती है ।
6. बागड़ीः- यह अलवर जिले में पायी जाती है ।
7. पूगलः- यह बीकानेर, डैसलमेर व नागौर क्षेत्र में पायी जाती है ।
8. डैसलमेरीः- यह डैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिलों मेंपायी जाती है ।
9. मगराः- यह बीकानेर, डैसलमेर व नागौर क्षेत्र में पायी जाती है ।
10. खैरीः- यह जोधपुर, पाली व नागौर में पायी जाती है ।
    - करणी व करणियों-भेड के मादा बच्चे को स्थानीय भाषा मं करणी तथा नर बच्चे को करणियों या करण्यो कहा जाता है।
    - रेवडः- भेडो के झुण्ड को राजस्थान में रेवड कहा जाता है।

राजस्थान में पायी जाने वाली विदेशी नस्ल की भेडे
1. मेरिनोः- इसकी उत्पति स्थल ऑस्ट्रेलिया है ताकि इसकी ऊन उन्नत किस्म में होती है - यह राजस्थान में टोंक, सीकर, जयपुर आदि जिलों में पायी जाती है।
2. डोर्सेटः- यह भी टोंक जिले में पायी जाती है। इसकी ऊन उत्तम किस्म की होती है।
3. रेक्बुलेः- यह भी टोंक जिलो में पायी जाती है तथा इसकी ऊन उन्नत किस्म की होती है।
4. कोरिडेलः- यह चित्तौड़गढ जिले में पायी जाती है तथा इसका मांस भी उपयोगी होता है।

भेड़े –सर्वाधिक– बाड़मेर

3. राजस्थान में बकरियाँ

इसे 'गरीब की गाय' भी कहा जाता है तथा 'चलता–फिरता फ्रिज' भी कहा जाता है।
आजकल इसे "ATM" (Any Time Milk) भी कहते है

1. सिरोही:–यह सिरोही, जालौर, अजमेर, उदयपुर, में पायी जाती है । यह मांस के लिए प्रसिद्ध है ।
2. झारवाडी:– मांस के लिए प्रसिद्ध ।
3. मारवाडी/लोही:– यह मारवाड के उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रो व आर्द्र मरूस्थलीय क्षेत्र जैसे :–
बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर, में पायी जाती है । यह भी मांस के लिए प्रसिद्ध है ।
4. शेखावाटी:– यह सीकर व झुंझुनू में पायी जाती है । इसका विकास (CAZRI) ने किया । इसके सींग नही होते है व अच्छा दूध देती है ।
5. बारबरी:– यह राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण–पूर्वी भाग में जैसे–डूंगरपुर, बांसवाडा व (ABCD) में पायी जाती है । यह दूध के लिए प्रसिद्ध है ।
6. जखराना:– यह जखराना गाँव(बहरोड, अलवर) में संकेन्द्रित है । यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ।
7. जमनापुरी:– यह बकरी की सर्वाधिक सुन्दर नस्ल है । यह दक्षिणी–पूर्वी राजस्थान, कोटा, बूँदी, झालावाड में पायी जाती है । यह त्रिप्रयोजनीय नस्ल है अर्थात् यह मांस, दूध, भार ढोने में प्रयुक्त होती है ।
8. पर्वतसरी:– यह परबतसर(नागौर), अजमेर, जयपुर, टोंक व झुंझुनू में पायी जाती है । यह अच्छा दूध देने वाली नस्ल है ।

वरूण गाँव:– नागौर जिले के वरूण गाँव की बकरियाँ पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। यहाँ की बकरियों से मांस व ऊन की प्राप्ति होती है।

भैंसे– सर्वा. प्रथम–जयपुर, द्वितीय–अलवर

भैंस की नस्ले	क्षेत्र	विशेष
मुर्रा(खुण्डी)	पूर्वी राजस्थान	राजस्थान में सर्वाधिक पायी वाली सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल
सूरती	उदयपुर	मूलतः गुजरात की नस्ल
जाफराबादी	दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान	मूलतः गुजरात
मेहसाना	दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान	मूलतः गुजरात
भदावरी	पूर्वी राजस्थान	मूलतः उत्तरप्रदेश की नस्ल सर्वा.

5. ऊँट –सर्वाधिक–जैसलमेर

ऊँट की नस्ले	क्षेत्र	विशेष
बीकानेरी	बीकानेरी	बोझा ढोने के लिए
नाचना	जैसलमेर(नाचना)	सुन्दरता, दौड के लिए प्रसिद्ध
गोमठ	जोधपुर	ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है ।

अन्य नस्ले:– सिंधी, कच्छी, मेवाती
नोट:– कैमल मिल्क मिनी प्लांट जयपुर में स्थापित किया जायेगा ।

6. अश्व:– सर्वा. –बीकानेर

अश्व की नस्ले	क्षेत्र	विशेष
मालाणी	बाड़मेर	सर्वश्रेष्ठ घोडे की नस्ल
मारवाडी	पश्चिमी राजस्थान	.....
काठियावाडी	बाड़मेर, जालौर	इस नस्ल के घोडे का सिर अरबी घोडे जैसा होता है

7. गधे– सर्वाधिक– बाड़मेर
8. सुअर– सर्वाधिक–भरतपुर
9 कुक्कुट:– सर्वाधिक–अजमेर, उदयपुर
10. खच्चर:– सर्वाधिक–अलवर

राजस्थान के प्रमुख पशु मेले

पशु मेला	स्थान	पशु गौवंश
1. श्री बलदेव पशु मेला	मेडता(नागौर)	नागौरी
2. श्री तेजाजी पशु मेला	परबतसर(नागौर)	नागौरी
3. श्री रामदेव पशु मेला	मानासर(नागौर)	नागौरी
4. श्री मल्लीनाथ पशु मेला	तिलवाडा(बाडमेर)	थारपाकर कांकरेज
5. चन्द्रभागा पशु मेला	झालरापाटन(झालावाड)	मालवी
6. श्री गोमतीसागर पशु मेला	झालरापाटन(झालावाड)	मालवी
7. जसवंत पशु मेला	भरतपुर	हरियाणवी
8. गोगामेडी पशु मेला	हनुमानगढ	हरियाणवी
9. शिवरात्रि पशु मेला	करौली	हरियाणवी
10 कार्तिक पशु मेला	पुष्कर(अजमेर)	गीर

पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केन्द्र:-

प्रजनन एवं अनुसंधान केन्द्र	स्थान
1. राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	जोहडबीड
2. केन्द्रीय पशु अनुसंधान केन्द्र	सुरतगढ, श्रीगंगानगर
3. भेड एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र	अविकानगर,टोक
4. भैंस अनुसंधान केन्द्र	वल्लभ नगर, उदयपुर
5. भैंस प्रजनन केन्द्र	डग(झालावाड), कुम्हेर(भरतपुर)
6. बुल मदर फार्म	चाँदन गाँव, डैरालमेर
7. बकरी प्रजनन केन्द्र	रामसर, अजमेर
8. थूकर /सूअर प्रजनन केन्द्र	अलवर
9. अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान	केरू(जोधपुर)

राजस्थान में कृषि

कृषि के वैज्ञानिक प्रकार

कृषि का नाम	सम्बंधित उत्पाद.
1. सेरी कल्चर	रेशम कीट पालन
2. एपी कल्चर	मधुमक्खी पालन
3. विटी कल्चर	अंगूर की कृषि
4. वर्मी कल्चर	केंचुएं द्वारा उत्पादन
5. पोमोलॉजी	फलों का उत्पादन
6. हॉर्टी कल्चर	बागवानी कृषि
7. फ्लोरी कल्चर	फूलों का उत्पादन
8. पिसी कल्चर	मछली उत्पादन
9. ओलिवी कल्चर	जैतून की कृषि
10. सिल्वी कल्चर	वनों की खेती
11. ओलेरी कल्चर	सब्जी उत्पादन

कृषि फसलों का वर्गीकरण-
1. मौसम के आधार पर
2. उपयोग के आधार पर

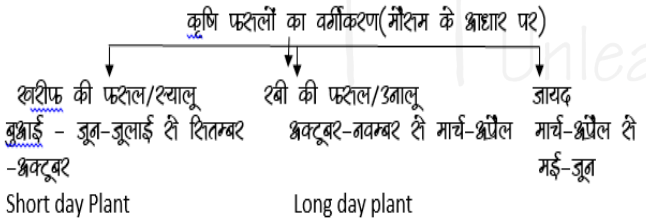

1. खरीफ की फसल/स्यालू :- बाजरा, मोठ, ज्वार, तिल, चावल, मूंग, मूंगफली, कपास गन्ना, चवला, मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, उड़द, अरहर, जूट, अरण्डी ।

2. रबी की फसल/उनालू:- गेंहू, जो, चना, मटर, मसूर, मेथी, सरसों, तारामीरा,ईसबगोल, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, हल्दी, अफीम, अलसी तम्बाकू ।

3. जायद की फसल:- हरी सब्जियां, खरबूजा, तरबूजा।

नोटः- कुल कृषि फसलों में 65 प्रतिशत खरीफ एवं 35 प्रतिशत रबी की फसल बोई जाती है।

उपयोग के आधार पर कृषि फसलों का वर्गीकरण

1. दहलन/भूमि उर्वर फसले - दलहन फसलेः-1 चना 2 मूंग 3 मोठ 4 उड़द

नोटः- अरहर की दाल भूमि की उर्वरता को कम करती है।

2. नगदी/व्यापारिक फसलेः- उद्योगों में आवश्यक, वे फसले जो उद्योगो में कच्चे माल के रूप में प्रयोग/प्रयुक्त होती है।

3. तिलहन फसलेः- तिल, मूंगफली,सरसो, तारामीरा, सूर्यमुखी(सन फ्लावर), सोयाबीन(तिलहन दलहन), जैतून, रतनजोत/जैट्रोफा, अरण्डी, होहोबा/जोजोबा, अलसी राई ।
4. रेशेदार फसलें :- 1. कपास 2. जूट
5. खाद्यान्न फसलें:- गेहूं , चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ

नोटः- राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल बाजरा है।

प्रमुख फसलों के उपनाम

1. कपास - बणियां एवं सफेद सोना
2. अफीम - काला सोना
3. होहोबा/जोजोबा - पीला सोना/गोल्ड ऑफ डेजर्ड
4. बांस - आदिवासियों का हरा सोना
5. ज्वार - गरीब की रोटी
6. ईसबगोल - घोडा जीरा
7. जूट - गोल्डन फाईबर
8. मूंगफली - गरीब की बादाम

देश की फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान
1. बाजरा 2. मेथी 3. सरसों एवं रेपसीड 4. ग्वार 5. ईसबगोल 6. मूंग 7. मोंठ. 8. सौंफ 9. धनियां ।

प्रमुख कृषि फसलों के अनुकुल भौतिक दशाएं

फसल का नाम	तापमान	वर्षा की मात्रा	मिट्टी
1. कपास	20º - 30 º c	50-100cm	हल्की काली मिट्टी
2 मक्का	21 º - 27 º c	50-80 cm	दोमट्ट मिट्टी
3. बाजरा	30 º - 35 º c	50 cm	बलुई मिट्टी
4. गन्ना	15 º - 25 º c	125 cm	कांपीय मिट्टी
5. गेंहू	15 º - 20 º c	75 cm	दोमट्ट मिट्टी